राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 170/2016

धर्म सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.01.2016
आदेश की दिनांक : 06.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की पत्नी बृजेश ने दिनांक 16.11.2004 को नसबन्दी का ऑपरेशन करवाया था। नसबन्दी का प्रमाण पत्र अनुलग्नक–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। नसबन्दी के ऑपरेशन के पश्चात भी अपीलार्थी के एक पुत्र का जन्म तीसरी संतान के रूप में हुआ। अपीलार्थी के तीसरी संतान हो जाने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति परीक्षा में शामिल नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने यह अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की। इस अधिकरण में इस अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 02.02.2016 पारित कर यह अंतरिम आदेश दिया कि अपीलार्थी को विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है। अपीलार्थी का परीक्षा परिणाम सीलबन्द लिफाफे में रखा जावे और अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जावे।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2006 के पश्चात तीसरी संतान हुई है। इस कारण पदोन्नति के लिये आयोजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा से वंचित किया गया है। नसबन्दी की गलती के कारण तीसरी संतान हुई है तो भी पदोन्नति नहीं दी

जा सकती हैं। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर अपीलार्थी को प्रोविजनल रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी, जिसका परीक्षा परिणाम सीलबन्द लिफाफे में है।

3. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अपनी पत्नी का नसबन्दी का ऑपरेशन करवाया था। नसबन्दी ऑपरेश ठीक से नहीं होने से अपीलार्थी के तीसरी संतान का जन्म हुआ, जिसमें अपीलार्थी की कोई गलती नहीं है। अतः अपीलार्थी को पदोन्नति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

4. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो परीक्षा परिणाम सीलबन्द किया गया है, उसे खोला जाए। यदि अपीलार्थी पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है तो उसे नियमानुसार पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)